

## न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेंट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 86 / 2022 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री हिमांशु ओझा एडवोकेट निवासी बनारस लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड  
बेस्ट फोटो कॉपीयर्स के पास, कलेक्ट्री अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा  
चौराहा, मुख्यर्जी गार्डन के पास,  
भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

उपस्थित :- प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

निर्णय

दिनांक : 30.11.2022



अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला भीलवाड़ा के विरुद्ध दिनांक 22.09.2022 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/- रुपये का पोस्टल ऑर्डर संख्या 54 एफ 946009 के साथ एक आवेदन दिनांक 03.08.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया को प्रेषित किया गया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 30.09.2022 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया द्वारा उनके पत्रांक 3493 दिनांक 15.11.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं -

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन से प्रकरण संख्या 01 / 2017 की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रति चाही गयी, किन्तु प्रकरण में अधिवक्ता के पक्षकार / परिवारी के भाई द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर उनके अधिवक्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लगाये गये आवेदन को खारिज करवाये जाने एवं आवेदन पत्र में किसी प्रकार की सूचना नहीं चाहने से उक्त आवेदन का निस्तारण किया गया।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उनके कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन को प्रार्थी / अपीलार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं करना चाहने से ही निस्तारित कर दिया गया है, जो कि उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला भीलवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध रेकॉर्ड के आधार पर निर्णय दिनांक से 15 दिवस में नियमानुसार उपलब्ध कराते हुए पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। साथ ही लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में आपको सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र को प्रार्थी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा खारिज करवाये जाने अथवा उस पर कोई कार्यवाही नहीं चाहने संबंधी तथ्यों के आधार पर उक्त आवेदन का निस्तारण नहीं करें। निर्णय की प्रति उभयपक्षकारान को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 30.11.2022 को मेरे द्वारा लिखायाम जाकर बाद हस्ताक्षर जारी

किया गया।

(आशीष मोदी)

जिला कलक्टर एवं

प्रथम अपीलेंट अधिकारी

भीलवाड़ा